राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 121 सन 2018

1. अमित कुमार पुत्र स्व बृजलाल जाति मेधवाल जरिये कुदरती माता बली रिनू देवी पत्नि बृजलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रिनू देवी पत्नी बृजलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. विधादेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
5. राजीव सर्वो पुत्र सुभाष सर्वा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की कुल 3.5420हैक जिसके कालूराम पुत्र लिछमण खातेदार काश्तकार है चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 191/179 की कुल 2.5300हैक भूमि जिसके विधादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मेधवाल खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 9 की कुल 18.00 बीधा भूमि जिसके कालूराम पुत्र लिछमण जाति मेधवाल खातेदार काश्तकार है।

कालूराम पुत्र लिछमण फोत होने के बाद उसके तीन पुत्र ख्यालीराम रामलाल मोहनलाल हुऐ जिन पर वाद भूमि औद हुई तीनों भाईयों ने खाता विभाजन करवा लिया प्रतिवादी संख्या 1 के पास चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 के खसरा न0 195/46 की 1.2230हैक भूमि औद हुई एवं चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की 3.5420हैक में सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा भूमि रहेगी एवं चक 5 आरपीएम की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई ।

वादी के पिता एवं वादीया संख्या 2 के पति बृजलाल फोत हो चुके है उनके दो वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज है रोही मौजा चक 5 आरपीएम की भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है एवं चक 1 बीकेके की भूमि मृतक कालूराम के नाम दर्ज होन के कारण प्रतिवादी संख्या 1/5 हिस्सा बनता है।

अतः धोषणा की जावे की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 की कुल 1.2230हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 191/179 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की कुल 3.5420हैक भूमि में वादीगण 1 ,2 बहिब 1/15 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

SAzaidi
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर निवेदन किया की गैरसायला न0 2 की चक 5 आरपीएम की भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.02.2011 से खरीद शुद्धा भूमि है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार की धोषणा करवा पाने के अधिकारी है शेष भूमि में सायलान के हकों की धोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 के खसरा न0 195/46 की 1.2230हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम से दर्ज है एवं चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की 3.5420हैक में कालूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है एवं चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 191/179 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।

चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 191/179 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 बीधा देवी के द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 14.02.2011 से खरीद की गई भूमि है जो प्रस्तुत बैयनामा से पूर्णत्या साबित है प्रतिवादी संख्या 2 की स्वअर्जित भूमि में सायलान अपने हकों की धोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है एवं चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 के खसरा न0 195/46 की 1.2230हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम से दर्ज है एवं चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की 3.5420हैक में कालूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है भूमि पैतृक सम्पति होनो पाया जाता है जिसके सम्बध में किसी ने कोई ऐतराज पेश नही किया है वल्की प्रतिवादी भी सहमत है जो प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र से साबित है।

उक्त भूमि पूर्व में कालूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद उसके तीनों पुत्रो का हक हिस्सा बनता है तथा मोहनलाल के नाम से दर्ज भूमि में मोहनलाल उसका पुत्र बृजलाल एवं भजनलाल हकदार हुए बृजलाल के देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि के उसके वारिसान उसकी पत्नि रिनू , पुत्र अमितकुमार का हक हिस्सा बनता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा एवं मोहनलाल पुत्र कालूराम के द्वारा राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा को चक सरदारपूरा के खसरा न0 133/38 में से 0.506हैक भूमि का बेचान किया गया है वह मोहनलाल के हिस्से में से प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 की कुल 1.2230 हैक भूमि में जो मोहनलाल के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की कुल 3.5420हैक भूमि जो कालूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है में वादीगण 1 ,2 बहिब 1/15 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मृतक कालूराम पुत्र लिछमण का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 की रोही मौजा चक 5 आरपीएम की कुल 2.5300हैक भूमि यथावत रहेगी। एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 में मोहनलाल पुत्र कालूराम प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा में से राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा प्रतिवादी संख्या 5 का 0.506हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं0 : 121 सन 2018

1 अमित कुमार पुत्र स्व बृजलाल जाति मेधवाल जरिये कुदरती माता बली रिनू देवी पत्नि बृजलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 रिनू देवी पत्नी बृजलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

2 विधादेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

3 भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेधवाल निवासी वार्ड न0 24 चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

5 राजीव सर्वो पुत्र सुभाष सर्वा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 की कुल 1.2230 हैक भूमि में जो मोहनलाल के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 10/9 की कुल 3.5420हैक भूमि जो कालूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है में वादीगण 1 ,2 बहिब 1/15 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मृतक कालूराम पुत्र लिछमण का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 की रोही मौजा चक 5 आरपीएम की कुल 2.5300हैक भूमि यथावत रहेगी। एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 133/38 में मोहनलाल पुत्र कालूराम प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा में से राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा प्रतिवादी संख्या 5 का 0.506हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S.A. Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत – 2018

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट– जसाना